प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 123/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)

शिवलाल पुत्र पन्नालाल तेली पताः कल्याणपुर, तहसील–ऋषभदेव, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार ऋषभदेव उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.08.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/123/23/1327–28 दिनांक 04.10.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सूचना का अधिकार/2023/2008 दिनांक 27.10.2023 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना चाही गई है, वह प्रार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांकः रीडर/सू.आ अधि/2023/1852 दिनांक 23.08.2023 जरिये पत्र के उपलब्ध करवाई गई, जिसमें बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा के विरूद्ध नायब तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 130/2003 की पत्रावली/मिशल की प्रमाणित प्रति चाही गई, जिसमें तहसील कार्यालय का सजृन सन् 2008 में होने के कारण इससे पूर्व का रेकार्ड कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रार्थी द्वारा स्वयं कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर पत्र की प्रति भी प्राप्त की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 27.10.2023 अनुसार तहसील कार्यालय ऋषभदेव का सृजन सन 2008 में होकर इससे पूर्व को रेकार्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। चूंकि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना ही उपलब्ध ही नहीं है ऐसी स्थिति में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जा सकी। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना से अपीलार्थी को भी जरिये पत्रांक 1852 दिनांक 23.08.2023 से अवगत करवा दिया गया एवं अपीलार्थी द्वारा स्वयं भी उक्त पत्र तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं होने से अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार ऋषभदेव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर